Compendium of the Civil Aviation Department, Government of Rajasthan

1. Rajasthan Civil Aviation Policy, 2024

The Rajasthan Civil Aviation Policy has been formulated to:

- ➢ Improve utilization of existing aviation infrastructure
- ➢ Develop new airports
- ➢ Provide better air travel services for passengers and cargo
- ➢ Attract investment in aviation sectors including Flying Training Organisations (FTOs)

2. Departmental Circular F. 3(9)DCA/Operation/2012 – Dated: 09.02.2021

This circular, issued in supersession of the previous circular dated 29.04.2016, authorizes:

- ➢ District Collectors to grant permission for the operation of government and private aircraft/helicopters on state-owned airstrips and helipads across various districts of Rajasthan.

3. Departmental Circular F. 3(8)CA/2013 – Dated: 12.12.2017

This circular, issued in supersession of the circular dated 18.11.2013, provides that:

- ➢ Security and sanitation charges are abolished for aircraft/helicopters belonging to other states, private air service providers, the defense department, and public enterprises using state-owned airstrips and helipads.
- ➢ Charges are prescribed for fire tenders, ambulances, and construction of new helipads.

4. Departmental Order F. 3(8)/CA/2024 – Dated: 11.12.2024

As per this order:

- ➢ The state-administered rate and process are defined for

lease allotment of land for establishing Flying Training Organisations (FTOs) in Rajasthan.

5. Departmental Order – Dated: 10.03.2025

This order outlines the land area eligibility norms for establishing Flying Training Organisations (FTOs) based on their proposed fleet size:

- ➢ Maximum land area requirements are categorized according to the number of aircraft to ensure safe and efficient operations.
- ➢ The order aims to standardize infrastructure planning for FTOs across all state owned airstrips in the state.

नागरिक उड्डयन विभाग का संकलन, राजस्थान सरकार

1. राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, 2024

राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति का उद्देश्य है:

- मौजूदा उड्डयन अवसंरचना का बेहतर उपयोग करना
- नए हवाई अड्डों का विकास करना
- यात्रियों और माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं प्रदान करना
- फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTOs) सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना

2. विभागीय परिपत्र F. 3(9)DCA/Operation/2012 – दिनांक: 09.02.2021

यह परिपत्र, दिनांक 29.04.2016 के पूर्ववर्ती परिपत्र के अतिक्रमण में जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत:

- राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हैलीपेड्स पर सरकारी और निजी विमानों/हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी।

3. विभागीय परिपत्र F. 3(8)CA/2013 – दिनांक: 12.12.2017

यह परिपत्र, दिनांक 18.11.2013 के परिपत्र के स्थान पर जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायु सेवा प्रदाताओं, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राज्य की हवाई पट्टियों और हैलीपेड्स के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को समाप्त किया गया है।
- अग्निशमन वाहनों, एंबुलेंस और नए हैलीपेड निर्माण हेतु शुल्क

निर्धारित किए गए हैं।

4. विभागीय आदेश F. 3(8)/CA/2024 – दिनांक: 11.12.2024

इस आदेश के अनुसार:

- राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTOs) की स्थापना हेतु भूमि के लीज आवंटन की राज्य प्रशासित दर एवं प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।

5. विभागीय आदेश – दिनांक: 10.03.2025

इस आदेश में FTOs की प्रस्तावित फ्लीट साइज के अनुसार भूमि क्षेत्र पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

- विमान संख्या के अनुसार अधिकतम भूमि आवश्यकता श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है ताकि संचालन सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- यह आदेश राज्य की सभी CAD स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों पर FTOs के लिए अवसंरचना योजना को मानकीकृत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।